न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 124/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/238**
दायर दिनांक :– 10.06.2025 **निर्णय दिनांक :– 08.12.2025**

1. मगनाराम पुत्र जसवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. रिछपाल डारा पुत्र जसवन्ताराम जाति विश्नोई निवासी रामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम्

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1.श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:निर्णयः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलौदी में प्रार्थीगण की खातेदारी की काश्त भूमि खसरा नम्बर 931/496 रकबा 2.9138 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है और प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह मास निवास करता आ रहा है नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण उक्त खातेदारी अधिकारों के चिपती सरकारी भूमि खसरा नम्बर 923/921 रकबा 8.4336 हैक्टेयर, भूमि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलौदी में आई हुई है जिसके पास से डामर सड़क निकलती है जो रामपुरा से राणेरी तक जाती हैं। प्रमाणित जमाबंदी व नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 931/496 रकबा 2.9138 हैक्टेयर की भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 923/921 रकबा 8.4336 हैक्टेयर भूमि में से आना जाना पड़ता हैं। प्रार्थीगण को आने जाने हेतु उक्त रास्ते के आलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग लिया जा रहा था लेकिन अब वर्तमान में अप्रार्थी के प्रतिनिधि ने पूर्व में उपयोग लिये जा रहे रास्ते को बंद कर दिया है। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि के चिपती डामर सड़क जो मौके पर रामपुरा से राणेरी तक जाती है वहा तक पहुंच हेतु प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र नये रास्ते की घोषणा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया और अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली में बहस सुनी गई।

Satya...
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बाप से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट व मौका फर्द अनुसार –

1. प्रार्थीगण वर्तमान में अस्थाई तौर पर खसरा नंबर 931/496 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 923/921 में से उपयोग में ले रहे है जो कि स्वीकृत शुदा नहीं है।
2. खसरा नंबर 931/496 के निकटतम खसरा नम्बर 923/921 के चिपती डामर सड़क है।
3. यदि खसरा नंबर 923/921 में से रास्ता दिया जाता है तो 0.1150 हैक्टेयर भूमि रास्ते में आती है जो सबसे निकटतम व सुविधाजनक होगी।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया –

1. रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।
2. वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अथवा नहीं।
3. नया मार्ग लघुतम रूट है या नहीं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी, पत्रावली में संलग्न जमाबंदी, नजरी नक्शा, तहसीलदार बाप की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क ''भूमिगत पाइपलाईन बिछाने या किसी अन्य खातेदार की जमीन से नया रास्ता खोलना या मौजूदा रास्ते को बड़ा करना'' प्रावधानों के अनुरूप तथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक रास्ते अनुपलब्धता के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रामपुरा पटवार हल्का राणेरी तहसील बाप जिला फलौदी के खसरा नंबर 923/921 रकबा 0.1150 हैक्टेयर भूमि मौका फर्द के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अकंन किया जावे तथा मौके पर रास्ता चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में डीएलसी की दुगनी दर से प्रतिकर देय होगा जिसकी गणना तहसीलदार बाप द्वारा करवाई जावेगी। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर की राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के उपरांत गै.मु.रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)